

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या
676/2020

रजू दिनांक
29.10.2020

निर्णय दिनांक
11.01.2023

// उनवान //

1 कृपा देवी पत्नि गिरार्जप्रसाद जाति अहीर निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर,
:- वादीया

बनाम

- 1 गोरधन पुत्र सृण्डाराम जाति गुर्जर निवासी भग्गुका बास तह0 बानसूर जिला अलवर
- 2 फूलवती देवी पत्नि सुल्तान सिंह जाति जाट निवासी खौड तह0 पटौदी जिला गुडगांव, हरि0।
- 3 श्रीमान उपं पंजीयक महोदय, मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर
- 4 श्रीमान तहसीलदार महोदय, लैण्ड होल्डर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा - इश्तकरारहक मय दुरूस्ती मय इन्द्राज
अन्तर्गत धारा- 88, 89,188 राज0 कास्त0 अधि0

उपस्थिति:- श्री पृथ्वीसिंह - वकील वादीया

निर्णय

दिनांक- 11.01.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित आये। वादीया के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 926/1.04 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। विवादित आराजी का 25/208 हिस्सा रकबा 0.1250 है0 वादीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 06.07.2009 को प्रतिवादी नं0 1 को मुबलिग 183130/रुपये अदा करते हुये खरीद किया था एवं वक्त खरीद से ही खरीदशुदा आराजी पर कब्जा ले लिया था जो आज तक बिना किसी एतराज के शांतिपूर्वक काबिज काशत है। विक्रेता प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 से दिनांक 01.05.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था, उसी दिन दौ बैयनामा के माध्यम से प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 से उक्त खसरा नम्बर 926 का 1/5 हिस्सा व 1/10 हिस्सा कुल 3/10 हिस्सा खरीद किया था, मिन वादीया ने जब प्रतिवादी सं0 1 से बैयनामा कराया उस समय विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 गोरधन रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर काबिज काशत था, कानूनन प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काशतकारी बाबत राईट एंड टाईटल प्राप्त हो चुके थे तथा आराजी को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था इस आधार पर विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 ने मिन वादीया के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा कराया जो बैयनामा करने के बाद मिन वादीया ने इन्तकाल दर्ज करने व रिकॉर्ड अमल दरामद करने के लिए हल्का पटवारी ततारपुर को दे दिया, चूंकि मिन वादीया अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जानकारी नहीं हो पाई की खरीदशुदा जमीन के आधार पर जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है या नहीं लेकिन वादीया को जब रुपयों की जरूरत पड़ी तो दिनांक 13.12.2019 को के.सी.सी. की फाईल बनवाने के लिए हल्का पटवारी से संपर्क किया तो हाल हल्का पटवारी ने जमाबंदी में नाम नहीं होना बताया उस दिन वादीया को पहली बार जानकारी हुई आदि-आदि अंकित करते हुये अंकित किया कि राजस्व रिकॉर्ड बैयनामा दिनांक 01.05.2008 व 06.07.2009 का

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

अमल नहीं आने से पूर्व विक्रेता प्रतिवादी सं० 2 फूलवती पत्नि सुल्तानसिंह के नाम का ही अमल चल रहा है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है प्रतिवादी सं० 2 का आराजी से कोई संबंध व सरौकार नहीं है, प्रतिवादी सं० 1 व 2 गलत एंट्री के आधार पर मिन वादीया के कब्जेकाशत में किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत पैदा ना करे। मिन वादीया विवादित आराजी के बैयनामा दिनांक 06.07.2009 के आधार पर खातेदार काशतकार घोषित कराने की अधिकारी है अंकित करते हुये वाद वादीया बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री इशतकरारहक मय दूरुस्ती इस प्रकार पारित की जाकर विवादित आराजी के बाबत मिन वादीया को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा विवादित आराजी के रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं० 2 के दर्ज नाम को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त फरमाया जाने व प्रतिवादीगण को डिक्री हु०३० दवामी से पाबंद किया जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की वाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं० 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है मुताबिक जवाब पैरोकार बिन्दुवार वादीया स्वयं सिद्ध करे अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है एवं प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 बावजूद विधिवत सूचना अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-74, बैयनामा दिनांक 06.07.2009, बैयनाम दिनांक 01.05.2008 किता 2 की छाया प्रतियां, ग्राम पंचायत ततारपुर द्वारा दिनांक 08.01.2023 में जारी खसरा नम्बर 926 में कृपा देवी पत्नि गिराज जाति अहीर का 1/2 बीघा में कब्जा होने के बाबत का प्रमाणपत्र एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मातादीन पुत्र विडदाराम पीडब्ल्यू-1, गिराज पुत्र मातादीन पीडब्ल्यू-2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादीया के वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी का 25/208 हिस्सा रकबा 0.1250 है० वादीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 06.07.2009 को प्रतिवादी नं० 1 को मुबलिग 183130/रुपये अदा करते हुये खरीद किया था एवं वक्त खरीद से ही खरीदशुदा आराजी पर कब्जा ले लिया था जो आज तक बिना किसी एतराज के शांतिपूर्वक काबिज काशत है। विक्रेता प्रतिवादी नं० 1 ने प्रतिवादी सं० 2 से दिनांक 01.05.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था, उसी दिन दौ बैयनामा के माध्यम से प्रतिवादी सं० 1 ने प्रतिवादी सं० 2 से उक्त खसरा नम्बर 926 का 1/5 हिस्सा व 1/10 हिस्सा कुल 3/10 हिस्सा खरीद किया था, वादीया ने जब प्रतिवादी सं० 1 से बैयनामा कराया उस समय विक्रेता प्रतिवादी सं० 1 गोरधन अपने रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर काबिज काशत था, कानूनन प्रतिवादी सं० 1 को खातेदारी काशतकारी बाबत राईट एंड टाईटल प्राप्त हो चुके थे तथा आराजी को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था इस आधार पर विक्रेता प्रतिवादी सं० 1 ने वादीया के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा कराया जो बैयनामा कराने के बाद वादीया ने इन्तकाल दर्ज करने व रिकॉर्ड अमल दरामद करने के लिए हल्का पटवारी ततारपुर को दे दिया था, चूकि वादीया अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जानकारी नहीं हो पाई की खरीदशुदा जमीन के आधार पर जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है या नहीं लेकिन वादीया को जब रुपयों की जरूरत पड़ी तो दिनांक 13.12.2019 को के.सी.सी. की फाईल बनाने के लिए हल्का पटवारी से संपर्क किया तो हाल हल्का पटवारी ने जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं होना बताया। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में बैयनामा दिनांक 01.05.2008 व 06.07.2009 का अमल नहीं आने से पूर्व विक्रेता प्रतिवादी सं० 2 फूलवती पत्नि सुल्तानसिंह के नाम का ही अमल चल रहा है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है प्रतिवादी सं० 2 का आराजी से कोई संबंध व सरौकार नहीं है। वादीया द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-74, बैयनामा दिनांक 06.07.2009, बैयनामा दिनांक 01.

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर)

05.2008 किता 2 की छाया प्रतियां, ग्राम पंचायत ततारपुर द्वारा दिनांक 08.01.2023 में जारी खसरा नम्बर 226 में कृपा देवी पत्नि गिराज जाति अहीर का 1/2 बीघा में कब्जा होने के बाबत का प्रमाणपत्र एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मातादीन पुत्र बिडदाराम पीडब्ल्यू-1, गिराज पुत्र मातादीन पीडब्ल्यू-2 पेश किये हैं जो शामिल पत्रावली है इस प्रकार से वादीया ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुये वादीया के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को पाबंद किया जावे कि वे गलत एंट्री के आधार पर वादीया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत पैदा ना करे।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 926/1.04 है0 वाके ग्राम ततारपुर के 25/208 हिस्सा रकबा 0.1250 है0 के बाबत के वादीया के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के हिस्से आराजी की हद तक प्रतिवादी सं0 2 फूलवती देवी के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा फूलवती के स्थान पर वादीया कृपा देवी के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को कही रहन, बय, हिबा आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे ना ही वादीया के काश्त कार्य में मजाहमत ही पैदा करे। पाबंद रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0
न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर, राज0

12/12/22

पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ, मुम्बईकर द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का ज्ञापन दिया है। पत्रावली बाकी आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02/01/23 को पेश हो।

रिक्टर

02/01/23 पत्रावली पेश। वकील शर्मा उपरोक्त प्रमाण पत्रावली दि० 09/01/23 को पेश हो।

09/01/23

पत्रावली पेश हुई। आज बार संघ, मुम्बईकर द्वारा कार्य स्थगन किए जाने का ज्ञापन दिया है। पत्रावली बाकी आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/01/23 को पेश हो।

रिक्टर

10/01/23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरोक्त प्रमाण पत्रावली दिनांक 11/01/23 को पत्रावली पेश हो।

11/01/23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरोक्त प्रमाण पत्रावली आज उड़ी कर निर्णय की जा चुकी है। निर्णय के अनुसार कार्यवाही अभी एनएलएट ड्रेफ्ट कटवाकर कट निर्णय की जाती है। पत्रावली फिलहाल प्रमाण पत्रावली पेश हो। यदि तकरीबन एनएनएट ड्रेफ्ट कटवाकर पत्रावली रहे। सुनाया गया।

रिक्टर